न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः गौरव अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **19/2023** अपील (राजस्व)

GCMS No 2023/19

1. नारूलाल उर्फ नारायण लाल पिता स्व. केशुलाल लौहार निवासीः लोसिंग, तहसील–बड़गांव, उदयपुर
2. श्रीमती कतु बाई पत्नी स्व. केशुलाल लौहार निवासीः लौसिंग, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी नायब तहसीलदार बड़गांव, उदयपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 1116 दिनांक 28.01.2015

उपस्थित : 1. श्री नरेशचन्द्र जणवा, अधिवक्ता अपीलाण्टगण
2. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः— 18/05/2026

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्टगण तथा उनके अन्य सह खातेदारो के स्वामित्व आधिपत्य एवं खातेदारी की भूमि मौजा लोसिंग पटवार हल्का लोसिंग भू–अभिलेक्ष निरीक्षक क्षेत्र ईसवाल तहसील बंडगॉव जिला उदयपुर स्थित है जिसके आराजी नम्बर 2417 से 2435 कुल किता 19 रकबा 4.6153 है, आराजी नम्बर 1976 से 1981 कुल किता 6 रकबा 1.5427 है आराजी नम्बर 3656, 3661, 3677, 3678, 3703, 3704, 3708 कुल किता 7 रकबा 0.3414 है तथा आराजी नम्बर 3657 रकबा 0.0126 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्टगण तथा अन्य सह खातेदारो की पैत्रक भूमि है जिसमे अपीलाण्ट का भी विरासत से हक हित अधिकार स्वत्व निहीत है और अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर के उपयोग उपभोग कर रहा है ओर उक्त भूमि पर के सी सी बनवाने के लिए अपीलाण्ट ने अभी खाते की नकल निकलवाई और उसका अवलोकन किया तो पता चला कि उसमे अपीलाण्ट का नाम नारू की जगह नारायण लाल अंकित कर रखा है तथा अपीलाण्ट संख्या दो जो कि अपीलाण्ट संख्या एक की माता है उसका नाम भी कतु बाई की जगह कंकुबाई दर्ज कर रखा है और उक्त बात की जानकारी होते ही राजस्व रेकर्ड की नकल निकलवाई और तुरन्त ही अपने अधिवक्ता से

जिला कलक्टर
उदयपुर

राय प्राप्त करके बिना किसी विलम्ब के उक्त अपील आप श्रीमान के समक्ष पेश कर रहे है। नायब तहसीलदार के द्वारा उक्त नामान्तरण तस्दीक करते वक्त पटवार हल्का के द्वारा पेश सजरा का अवलोकन किया जाता या उसका निरीक्षण करके उसको तस्दीक किया जाता तो उक्त नामान्तरण मे कतुबाई का नाम कंकुबाई दर्ज नही होता इस प्रकार नायब तहसीलदार के द्वारा उक्त नामान्तरण का बिना देखे व बिना पढे तस्दीक किया है जो जिसमे इस आशय का दुरस्त किया जाना आवश्यक है कि कंकुबाई के स्थान पर कतुबाई अकित करवाया जावे नही तो प्रार्थी अपीलण्टगण को कई सारी दिक्कतो का सामना करना पडेगा और जिसकी वजह से बिना किसी कारण के लिटीगेशन बढेगा ओर कई सारी पेचीदगीयो का सामना करना पडेगा इसलिए बिना देखे ही और उसका बिना अवलोकन किये ही नामान्तरकरण पारित कर दिया गया है तो उक्त नामान्तरण विधि में दुरस्त किये जाने योग्य दस्तावेज हैं। उक्त नामान्तरण भरते वक्त पटवार हल्का अपीलाण्टगण संख्या एक का बोलता नाम ही अंकित कर दिया जबकि उसके अन्य दस्तावेजो मे उसका नाम नारूलाल है और घर परिवार मे उसको नारायण लाल के नाम से जानते है ओर पटवार हल्का के द्वारा उक्त नामान्तरण भरते वक्त उसका बोलता नाम ही दर्ज कर लिया गया और वही नाम ही उक्त नामान्तरण मे भर कर के पेश कर दिया ओर जिसके कारण उक्त नामान्तरण मे उसका नाम नारायणलाल ही दर्ज हो गया है। जबकि उसके सभी दस्तावेजो में उसका नाम नारूलाल दर्ज है इसलिए न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक है कि उक्त नामान्तरण में उसके नाम नारायणलाल के साथ मे नारूलाल भी दर्ज करवाया जावे नही तो प्रार्थी अपीलण्टगण को कई सारी दिक्कतो का सामना करना पडेगा और जिसकी वजह से बिना किसी कारण के लिटीगेशन बढेगा ओर कई सारी पेचीदगीयो का सामना करना पडेगा इसलिए बिना सम्पूर्ण जांच किये और बिना दस्तावेज देखे ही नामान्तरण पारित कर दिया गया है तो उक्त नामान्तरण विधि मे दुरस्त किये जाने योग्य दस्तावेज हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बडगाँव जिला उदयपुर नामान्तरण संख्या 1116 निर्णय दिनाकं 28.01.2015 का होने से उक्त अपील को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार आप श्रीमान् को है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बडगाँव जिला उदयपुर नामान्तरण संख्या 1116 निर्णय दिनाकं 28.01.2015 में इस आशय के संशोधन करवाया जावे कि उसमें अपीलाण्ट के नाम नारायणलाल के साथ मे उसका अन्य दस्तावेजों में अंकित नाम नारूलाल भी दर्ज करवाया जावे तथा अपीलाण्ट कतु बाई के नाम से तो पटवार हल्का के द्वारा सजरा बनाकर के पेश किया है परन्तु उक्त नामान्तरण भरते वक्त उसका नाम कतु बाई के स्थान पर कंकुबाई दर्ज कर दिया है जिसको कंतु बाई दर्ज किया जाने के आशय का दुरस्त किया जाकर उक्त नामानतरण को संशोधित करके नये सिरे से पारित किया जावे।

जिला कलक्टर
उदयपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को वर्णन करते हुए निवेदन किया कि मौजा लोसिंग, तहसील बड़गाँव, जिला उदयपुर स्थित उनकी पैतृक खातेदारी भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार बड़गाँव द्वारा नामांतरण संख्या 1116 दिनांक 28.01.2015 पारित किया गया। उक्त भूमि में अपीलार्थियों का विरासत से हक, हित एवं कब्जा है। खाते की नकल प्राप्त करने पर अपीलार्थियों को ज्ञात हुआ कि राजस्व अभिलेख में अपीलार्थी संख्या 1 का नाम "नारूलाल" के स्थान पर "नारायणलाल" तथा अपीलार्थी संख्या 2 "कतु बाई" का नाम त्रुटिवश "कंकुबाई" अंकित कर दिया गया है। पटवार हल्का द्वारा नामांतरण भरते समय बोलचाल का नाम दर्ज कर लिया गया तथा नायब तहसीलदार ने बिना समुचित परीक्षण एवं दस्तावेजों के अवलोकन के नामांतरण तस्दीक कर दिया। उक्त त्रुटियों के कारण भविष्य में अनावश्यक विवाद, वाद–विवाद एवं प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए न्यायहित में नामांतरण आदेश में संशोधन कर "नारायणलाल" के साथ "नारूलाल" तथा "कंकुबाई" के स्थान पर सही नाम "कतु बाई" दर्ज कर नामांतरण को संशोधित कर पुनः पारित किये जाने आदेश फरमावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बड़गाँव द्वारा नामांतरकरण संख्या 1116 दिनांक 28.01.2015 विधिसम्मत रूप से उपलब्ध अभिलेखों, पटवारी रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पारित किया गया था। उक्त आदेश पारित करते समय किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि अथवा अवैधानिकता नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में नामांतरकरण पारित किया गया जबकि अपीलाण्टगण द्वारा लगभग 8 वर्ष पश्चात् वर्ष 2022 में उक्त नामांतरकरण में संशोधन हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। इतनी लम्बी अवधि पश्चात् अपील प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण भी अपीलाण्टगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाण्टगण सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व अभिलेख एवं तत्कालीन राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने को कोई विधिसम्मत आधार नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 1116 में अपीलार्थी का नाम नारायण व कतु बाई अंकित है एवं ग्राम पंचायत लोसिंग द्वारा जारी सजरा में भी अपीलार्थी का नाम नारायण पिता केशुलाल एवं कस्तूरीबाई पत्नी केशुलाल को काटते हुए कतुबाई अंकित किया गया है। अपीलार्थी उक्त दोनो नामों को क्रमशः नारायणलाल के स्थान पर नारूलाल एवं

जिला कलक्टर
उदयपुर

कंकुबाई के स्थान पर कतुबाई संशोधित कराना चाहता है किन्तु उक्त नामों को संशोधित कराये जाने के समर्थन में ना तो पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध है ना ही अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अपीलाण्ट्स के नाम संशोधित करने का कोई वैध दस्तावेजी आधार नही है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गांव को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो, बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर